भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2792
बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

वस्त्र मिल में कार्यरत श्रम-बल

2792. श्री अनिल देसाईः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र उद्योग देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी और सरकार द्वारा नियंत्रित वस्त्र मिलों में कितने श्रम बल कार्यरत हैं; और
(ग) क्या सरकारी श्रम कल्याण योजनाएं दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): जी हां। उन उद्योगों, जो केवल संगठित विनिर्माण (निजी एवं सार्वजनिक दोनों) क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते हैं, के नवीनतम उपलब्ध वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, वस्त्र एवं परिधान में 2014-15 में 25.27 लाख, 2015-16 में 26.48 लाख तथा 2016-17 में 26.97 लाख रोजगार थे।

(ग): सरकार हस्तशिल्प कारीगरों सहित वस्त्र कामगारों/बुनकरों के कल्याण एवं विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

(i) विद्युतकरघा कामगारों हेतु समूह बीमा योजना के तहत, प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु तथा दुर्घटना के कारण आंशिक एवं स्थायी अपंगता की अवस्था में सभी विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत नामित बुनकर/कामगार अधिकतम 4 वर्षों की अवधि हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे दो बच्चों के लिए 600/- रुपए प्रति बच्चे की दर से अर्धवार्षिक शैक्षिक अनुदान हेतु पात्र हैं। इस योजना के तहत, नामित विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों की कुल संख्या 2015-16 में 1.11 लाख, 2016-17 में 1.32 लाख तथा 2017-18 में 1.62 लाख थी।

(ii) "वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस)", जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के साथ मिला दिया गया है, के अंतर्गत मिलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो जाने वाले वस्त्र कामगारों को प्रथम वर्ष में मजदूरी रोजगार की 75%; द्वितीय वर्ष में 50% तथा तृतीय वर्ष में 25% की राहत प्रदान की जाती है।

(iii) "हथकरघा बुनकर वृहद कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)" के अंतर्गत 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के हथकरघा बुनकरों/कामगारों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। इसे तब महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के अंतर्गत मिला दिया गया था। एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस को "प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना" (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत मिला दिया गया है। पीएमजेजेबीवाई तथा अभिमुखित एमजीबीबीवाई के तहत बुनकरों/कामगारों का कुल लक्षित नामांकन 2017-18 में 5.32 लाख एवं 2018-19 में 6.65 लाख है, जिसमें सामान्य राज्यों हेतु 3.84 लाख तथा पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 2.84 लाख शामिल हैं। उपर्युक्त लाभ के अतिरिक्त, लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे अधिकतम दो बच्चों को 180/- रुपए प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(iv) इसके अतिरिक्त, हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, मान्यता, क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार, औजारों एवं उपकरणों की आपूर्ति जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

(क) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) ऑन होल्ड;

(ख) हस्तशिल्प कारीगरों हेतु बीमा योजना-आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)।

(ग) अत्यधिक दरिद्रता वाली परिस्थितियों में कारीगरों की सहायता।

(घ) क्रेडिट गारंटी योजना।

(ङ) ब्याज अनुदान योजना।

(च) पहचान-पत्र जारी करना तथा डेटा-आधार का सृजन करना।

*****